Gyan Sky

ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहो

JOIN US TODAY!

WhatsApp

Telegram

Instagram

Gyansky.com

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3
संख्या–255/60–3–2015–13 (11)/14
लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी, 2015

अधिसूचना (प्रकीर्ण)

संविधान के अनुच्छेद 154 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी प्रयोज्यता के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015

भाग–1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा–

(एक) 'मिशन' का तात्पर्य शासनादेश संख्या–02/60–3–15–13 (11)/14, दिनांक 07.01.2015 में यथावर्णित ''उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन'' से है।

(दो) 'राज्य अनुश्रवण समिति' का तात्पर्य शासनादेश सं0–21/60–3–15–13 (11)/14, दिनांक 07.01.15 में यथावर्णित मिशन के अधीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अनुश्रवण समिति से है।

(तीन) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(चार) 'जिला संचालन समिति' का तात्पर्य शासनादेश संख्याः–82/60–3–15–13 (5)/15, दिनांक 16.01.2015 में यथावर्णित मिशन के अधीन गठित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति से है।

rule

(पॉच) 'कोष' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से है।

(छः) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(सात) 'जिला' का तात्पर्य स्थायी या अस्थायी निवास या घटना स्थल के जिला से है।

(आठ) 'सचिवालय' का तात्पर्य शासनादेश सं0–82/60–3–15–13 (5)/15, दिनांक 16.01.15 में यथावर्णित मिशन के कार्यकलापों के निष्पादन में राज्य अनुश्रवण समिति के सहायतार्थ स्थापित कार्यालय से है।

(नौ) 'कोष प्रबंधन' इकाई का तात्पर्य मिशन की राज्य अनुश्रवण समिति के सचिवालय के उस प्रभाग से है जिसे राजकीय बजट से सहायता मिलेगी और जो कोष के संचालन और अनुरक्षण और इसके कार्यकलापों का अनुश्रवण करने के लिए गठित होगी।

(दस) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य मिशन के अधीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अनुश्रवण समिति से है।

भाग–2

3. **कोषः–**

(क) कोष में राज्य/केन्द्र सरकार, सरकारी उपक्रमों, व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों से अनुदान/दान के रूप में प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

(ख) सैद्धान्तिक रूप से इस कोष का परिचालन बजटीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकार के रू0 100 करोड़ के योगदान से किया जायेगा, जिसे उसी स्तर पर बनाये रखा जायेगा तथा किसी वित्तीय वर्ष में यथा आवश्यकता बढ़ाया जायेगा।

rule

4. कोष का उपयोगः–

इस कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जायेगाः–

(क) यह जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करेगा। इस कोष का उपयोग ऐसी पीड़िताओं के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, पुर्नरूद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किया जायेगा। ऐसे दृष्टान्तों जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति और अन्य अनुतोष उपलब्ध होंगे, तथा उनकी प्रक्रियायें संलग्नक–1 में दी गयी है।

(ख) ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराना जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार नहीं है किन्तु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय एवं शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार की सहायता के लिए पात्रता श्रेणी एवं उसकी प्रक्रियायें संलग्नक–2 में दी गई हैं।

(ग) इस कोष में जन सामान्य के योगदानों को या तो योगदानकर्ता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के प्रति या कोष में सामान्य योगदान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं/बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित ऐसी परियोजनाएँ, जिनके लिए जनसामान्य द्वारा विशिष्ट/लक्षित योगदान किया जा सकता है, की सूची संलग्नक–3 में दी गई है। जिन क्रियाकलापों के लिये विशिष्ट योगदान दिये गये हैं उनका अनुश्रवण क्रिया कलापवार किया जायेगा।

(घ) इस कोष में किये गये राज्य सरकार के योगदान एवं किन्ही अन्य योगदानों का उपयोग संलग्नक–1, 2 और 3 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जायेगा।

rule

5. कोष में योगदान–

(क) कोष में सरकारी योगदान को राजकीय कोषागार में लेखाशीर्षक–2235–02–103–10– उ0प्र0 महिला सम्मान कोष–42– अन्य व्यय के अधीन जमा किया जायेगा, जो कि ब्याज रहित लेखा शीर्षक है।

(ख) जन सामान्य के योगदान, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा लखनऊ के सरकारी खाते में रखा जायेगा। जन सामान्य के योगदान नेट–बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट–कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के नाम से आन लाइन किये जा सकते है। इसे उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से भी किया जा सकता है। उक्त खाते में अनुवर्ती हस्तांतरण हेतु डिमाण्ड/ड्राफ्ट चेक भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है।

(ग) जनसामान्य द्वारा किये गये योगदान प्रक्रियानुसार अपेक्षित अनुमोदनोपरान्त आयकर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आयकर अधिनियम से छूट के योग्य होंगे।

(घ) कोष के लेखे का रख–रखाव राज्य सरकार के विहित नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

भाग–3

विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

6. राज्य अनुश्रवण समिति की भूमिका

(क) मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अनुश्रवण समिति इस कोष का पर्यवेक्षण एवं प्रबंध करने और उसके अन्तर्गत कार्यों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य स्तर पर सक्षम प्राधिकारी होगी।

rule

यह समिति इसकी सूचना मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन को देगी।

(ख) राज्य अनुश्रवण समिति मिशन के अनुमोदन से वर्तमान नियमों को संशोधित करने सहित नीति स्तरीय निर्णयों को लेने तथा कोष से मौद्रिक, चिकित्सीय एवं अन्य राहतों की स्वीकृति के संबंध में जिला संचालन समितियों को विशिष्ट दिशा–निर्देश देने और आवश्यकतानुसार जिला संचालन समितियों से प्राप्त संस्तुतियों पर आधारित परियोजनाओं को अनुमोदन देने के लिये सशक्त होगी।

(ग) राज्य अनुश्रवण समिति कोष के संपरीक्षित लेखा विवरणों को प्राप्त करने और उस पर विचार करने तथा उसे मिशन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है।

7. कोष प्रबंधन इकाई की स्थापना–संरचना एवं कार्य

(क) प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग के पर्यवेक्षण में लखनऊ स्थित कोष प्रबंधन इकाई मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य अनुश्रवण समिति के सचिवालय का एक प्रभाग होगी और कोष के संचालन संबंधी सभी मामलों में मुख्य सचिव के अधीन कार्य करेगी।

(ख) कोष प्रबंधन इकाई में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(एक) महिला कल्याण विभाग के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव अथवा सेवा स्थानान्तरण के आधार पर समकक्ष अधिकारी।

(दो) सेवा स्थानान्तरण के आधार पर एक वरिष्ठ वित्त सलाहकार, वित्त विभाग से जो अपर निदेशक कोषागार/पेंशन/आन्तरिक लेखा परीक्षा/सामूहिक बीमा से निम्न स्तर का न हो तथा जिसे बजट और लेखा कार्य का अनुभव हो।

rule

(तीन) कोष के लेखा एवं लेखा–परीक्षा के स्थायी अभिलेखों के रख–रखाव के लिए सेवा स्थानान्तरण के आधार पर दो समीक्षा अधिकारी (सचिवालय के नकदी/लेखा/इरला अनुभाग)

(चार) संविदा के आधार पर दो प्रोग्रामर

(पॉच) संविदा के आधार पर दो सहायक प्रोग्रामर

(छः) संविदा के आधार पर दो डाटा इन्ट्री आपेरटर

(सात) सेवा प्रदाता से तीन सहायक कार्मिक (समूह 'घ')

(आठ) दो वाहन चालक, सेवा प्रदाता के माध्यम से।

(नौ) कम्प्यूटर आधारित आनलाईन वर्किंग नेटवर्किंग एवं डाटा की सुरक्षा के लिए कोष प्रबंधन इकाई को तकनीकी सहायता, जैसाकि उपर्युक्त प्रस्तर (चार), (पॉच) एवं (छः) में वर्णित है और उनका प्रशिक्षण एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(दस) कोष प्रबंधन इकाई के लिए संविदा के आधार पर कार्मिकों जैसा कि उपर्युक्त (चार), (पॉच) एवं (छः) में वर्णित है को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के यू.पी. डेस्को के माध्यम से रखे जायेंगे। जनशक्ति की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य एन.आई.सी. के परामर्श से किया जायेगा।

(ग्यारह) उपर्युक्त (सात) एवं (आठ) में उल्लिखित सहायक कार्मिकों को किसी सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से रखा जायेगा।

(बारह) कोष के सर्वर राज्य डाटा केन्द्र/एन.आई.सी डाटा केन्द्र में उपलब्धता के आधार पर स्थापित किये जायेंगे।

rule

(तेरह) कोष प्रबंधन इकाई एवं डाटा केन्द्र, लखनऊ के लिए हार्डवेयर, विशिष्टयों के बारे में एन.आई.सी. से परामर्श करके यू.पी. डेस्को द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(ग) कोष में योगदान एवं उसके भुगतानों के आनलाइन तंत्र का कोष प्रबंधन इकाई द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाविहित हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

(घ) जिला संचालन समिति लाभार्थी के नाम धन अवमुक्त करने के उद्देश्य, लाभार्थी के बैंक खाते एवं बैंक के आई.एफ.एस.सी. कोड आदि जैसे विवरणों के साथ, पदाविहित हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मांग कोष प्रबंधन इकाई को प्रेषित करेगी।

(ड.) मांग प्राप्त होने के उपरान्त समुचित अनुमोदनोपरान्त कोष प्रबंधन इकाई के प्राधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार देयक (बिल) तैयार किया जायेगा और लाभार्थी के खाते/अस्पताल के खाते/शैक्षिक संस्था के खाते यथा अपेक्षित, में भुगतान हेतु नोडल ट्रेजरी को प्रस्तुत करेगा। जवाहर भवन, लखनऊ कोषागार इस कोष के लिए नोडल कोषागार होगा।

(च) कोष के आनलाईन पोर्टल के संचालन में और सभी सम्बन्धित विभागों, यथा पुलिस, चिकित्सा–स्वास्थ्य, चिकित्सा–शिक्षा, समाज कल्याण एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय, के साथ समन्वय में जिला संचालन समिति की सहायता करने के लिए प्रत्येक जिले में तकनीकी इकाई की स्थापना की जायेगी, जिनमें प्रत्येक में दो कम्प्यूटर आपरेटर होंगे।

(छ) एन.आई.सी. द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार जिला तकनीकी इकाई के लिए हार्डवेयर प्राप्त करने के लिए जिला संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकृत है।

rule

(ज) जिला तकनीकी इकाई के लिए संविदा के आधार पर, उपर्युक्त (छ) में यथावर्णित, कार्मिकों की व्यवस्था, यू0पी0 डेस्को, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से की जायेगी। कार्मिको की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य एन.आई.सी. के परामर्श से किया जायेगा। पोर्टल के सुचारू एवं कुशल संचालन के लिए रखे गये कार्मिकों को एन.आई.सी. समय–समय पर प्रशिक्षण भी देगा।

(झ) कोष प्रबंधन इकाई (लखनऊ स्थित डेटा सेन्टर के सर्वर सहित) और सभी जिलों में जिला तकनीकी इकाईयों को, उनकी स्थापना की प्रारम्भिक लागत तथा आवर्ती वार्षिक व्यय (कार्यालय व्यय और वेतन) सहित, बजटीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

8. <u>एन.आई.सी. की भूमिका:–</u>

(क) एन.आई.सी. वेब आधारित प्रयोक्तानुकूल एक वृहद साफ्टवेयर का विकास एवं अनुरक्षण करेगा जिससे कि इस पद्धति से इस कोष के अधीन आय एवं व्यय के साथ–साथ अन्य संबंधित क्रिया कलापों को सुगम बनाया जा सके और उनका अनुश्रवण किया जा सके तथा इसे बित्त विभाग की राजकोष ई–पोर्टल तथा लोक वित्त प्रबंधन पद्धति (पी एफ एम एस) से जोड़ेगा। इस कोष का अनलाईन पोर्टल सभी सम्बंधित विभागों के डाटाबेस से जोड़ा जायेगा।

(ख) वेब आधारित पद्धति इस कोष की कार्य विधि और इसके प्रवाह में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। एन.आई.सी. यह सुनिश्चित करेगा कि इस वेबसाईट का फ्रंट आफिस पोर्टल जनता की पहुंच में हो जिससे कि वे कोष के क्रियाकलापों जिनके लिए उन्होंने योगदान किया है, कि स्थिति की जानकारी कर सकें। यह वेब पोर्टल इन्टरनेट के माध्यम से अंतरित/प्रयुक्त धनराशियों की स्थिति की जानकारी जनता को देने के लिए 24x7 के आधार पर प्रभावी एवं अबाध अंतराफलक (इण्टरफेस) उपलब्ध करायेगा।

rule

(ग) इस साफ्टवेयर में इस कोष के अधीन धनराशियों के समस्त लेन–देन की उपयोगिता एवं लेखा–परीक्षा रिपोर्ट को प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से तैयार करने की भी विशिष्टियां होगी।

(घ) प्रत्येक सम्बन्धित विभाग से नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जो वेब पोर्टल के संचालन में एन.आई.सी. के साथ समन्वय करेंगे।

9. **जिला संचालन समिति की भूमिकाः–**

(क) लाभार्थियों को कोष से संलग्नक–1 व 2 में यथावर्णित राहतों की स्वीकृति एवं अनुश्रवण करना तथा जहां कहीं भी अपेक्षित हो, राज्य अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

(ख) जिला संचालन समिति द्वारा प्राप्त समस्त प्रस्तावों की हार्ड कॉपी पोर्टल से डाउनलोड की जायेगी तथा संबंधित विभागीय कार्यालयाध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से अनुमोदित होने के उपरान्त ही पदाभिहित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा राहत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों को जिला संचालन समिति की ओर से कोष प्रबंधन इकाई को अग्रसारित किये जाने हेतु उन पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(ग) राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन से संलग्नक–3 की परियोजनाओं, यथा अपेक्षित का कार्यान्वयन करना जिसमें संबंधित विभागों के माध्यम से परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के साथ–साथ लागत से अधिक व्यय किये बिना परियोजनाओं की समय से पूर्णता सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

10. **स्वीकर्ता प्राधिकारी**

(क) जिला संचालन समिति कोष से केवल रु0–10 लाख की सीमा तक की राहतों जो कि संलग्नक–1 व 2 में उल्लिखित है, के लिए स्वीकर्ता प्राधिकारी है। रू0 10.00 लाख से अधिक की राहत धनराशि के लिए राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन हेतु संस्तुतियॉ आनलाईन प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) संलग्नक–3 में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिये स्वीकर्ता प्राधिकारी राज्य अनुश्रवण समिति है।

rule

भाग–4

कोष नियमावली के संलग्नक–1, 2 व 3 में यथा–पारिभाषित विभिन्न कार्यकलापों हेतु पोर्टल के अन्तराफलक (इण्टरफेसेज)

11. (1) विचाराधीन अभिलेखों के प्रमाणीकरण हेतु डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है।

(2) जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला संचालन समिति के सदस्य सचिव होने के कारण या डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करे, कोष प्रबंधन इकाई को आनलाइन प्रस्तुतीकरण हेतु अभिलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए जिला संचालन समिति का पदाभिहित हस्ताक्षरकर्ता होगा।

(3) इस कोष की नियमावली में यथा परिभाषित विभिन्न कार्यकलापों के निष्पादन हेतु पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों और राज्य एवं जिला समितियों के प्राधिकृत सदस्यों को एक लॉगिन व पासवर्ड दिया जायेगा, जिससे कि इण्टरनेट के माध्यम से वेबपोर्टल तक उनकी पहुँच हो सके।

(4) लाभार्थी/पीड़िता के विवरणों, कोष में किये गये योगदान एवं उसके व्यय की डाटा इन्ट्री वेबपोर्टल के माध्यम से की जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस कार्य हेतु प्राधिकृत चिकित्साधिकारी के सहायतार्थ एक कम्प्यूटर सहायक तैनात करेगा, जिसे एन.आई.सी द्वारा वेबपोर्टल चलाये जाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

(5) वेब पोर्टल में प्रत्येक स्टेक होल्डर के साथ–साथ जन–सामान्य के लिए अन्तराफलक (इण्टर फेस) उपलब्ध होगा।

(6) कोष प्रबंधन इकाई और जिला तकनीकी इकाईयों आनलाइन वेब पोर्टल के संचालन एवं प्राप्त संस्तुतियों को संसाधित (प्रोसेस) करने में क्रमशः राज्य अनुश्रवण समिति और जिला संचालन समितियों की सहायता करेगी।

rule

12. संलग्नक–1 में परिभाषित मामलों के संबंध में प्रकियाः–

संलग्नक 1 के अधीन सहायता प्रदान किये जाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(क) क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रकियाः–

(1) प्राधिकृत जिला पुलिस अधिकारी पीड़िता की प्राथमिकी और अन्य विवरणों को आनलाइन दर्ज करेगा और अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा।

(2) तत्पश्चात्, इस तरह से हस्ताक्षरित अभिलेख जिला संचालन समिति के पदाभिहित/निर्दिष्ट हस्ताक्षरकर्ता के साथ–साथ प्राधिकृत चिकित्साधिकारी, दोनों, के इनबाक्सों में स्वतः से प्रदर्शित होंगे।

(3) तब प्राधिकृत चिकित्साधिकारी मेडिकल रिर्पोट को आनलाइन दर्ज करेगा और अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा। इस तरह से पूर्ण किया गया अभिलेख जिला संचालन समिति की स्वीकृति हेतु आनलाईन प्रेषित किया जायेगा।

(4) पदाभिहित/निर्दिष्ट हस्ताक्षरकर्ता विहित प्रारुप जिसे वेबसाईट से जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर सहित डाउनलोड किया जायेगा पर, जिला संचालन समिति के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(5) उसे वैसा ही स्कैन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा और पदाभिहित हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षरों के अधीन भुगतान की अनुशंसा के साथ कोष प्रबंधन इकाई (एम.एम.यू.) को अग्रसारित करेगा।

(6) जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसित अभिलेखों के आधार पर कोष प्रबंधन इकाई (एम.एम.यू.) द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से मांग सृजित की जायेगी। तद्नुसार पी.एफ.एम.एस. (P.F.M.S) पद्धति से धनराशि सीधे लाभग्राहियों के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी, जिसकी सूचना जिला संचालन समिति तथा जनपदीय पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी।

rule

(ख) चिकित्सा सुविधा प्राप्त किये जाने की प्रकिया:–

(1) हिंसा पीड़िता (संलग्नक–1 में भाग 'क' की सूची के अनुसार) प्रारम्भिक उपचार के लिए किसी भी सरकारी चिकित्सालय/सरकारी मेडिकल कालेज/राज्य स्वशासी चिकित्सा निकाय/राज्य चिकित्सा विश्व–विद्यालय में जा सकती हैं। जहॉ सरकारी अस्पताल/सरकारी मेडिकल कालेज में जॉच की सुविधायें उपलब्ध नही है, किन्तु निजी क्षेत्र में उपलब्ध हैं, वहां इस प्रकार के उपचार की सुगमता के लिये संलग्नक–1 में बताई गई प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(2) यदि रेफरल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है तो वह उपचार कर्ता चिकित्सक की विशिष्ट अनुशंसा के आधार पर, जिसे जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी मेडिकल कालेज के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है, के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

(3) यदि किसी लाभग्राही को किसी सुनिश्चित सरकारी रेफरल चिकित्सालय (संलग्नक–1 के अनुसार)/इन नियमों के अधीन मान्य निजी चिकित्सालय में उपचार की आवश्यकता है तो जिला चिकित्सालय/जिला मेडिकल कालेज के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तरह के उपचार की आवश्यकता के संबंध में

स्पष्ट अनुशंसा का समावेश करते हुए रेफरल प्रपत्र के विवरणों की वेबपोर्टल में प्रविष्टि की जायेगी (संलग्नक–1 के लिए रेफरल प्रपत्र का प्रारुप चिकित्सा स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा) अभिज्ञान पहचान को सुगम बनाने के लिए रेफरल प्रपत्र की एक प्रति लाभग्राही को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) रेफरल चिकित्सालय/संस्था के इनबाक्स में डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मेडिकल रिपोर्ट के साथ–साथ रेफरल प्रपत्र और लाभग्राही के विवरणों को दर्शाया जायेगा।

(5) जब लाभग्राही रेफरल केन्द्र पर जाये तो उसके सहज अभिज्ञान के लिए रेफरल प्रपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

rule

(6) लाभग्राही को निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने हेतु रेफरल केन्द्र उसे प्रदान किये गये उपचार के आधार पर उन चिकित्सा–उपचारों के लिए उसके नाम से एक बिल तैयार करेगा जो इलाज केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध नहीं है।

(7) रेफरल केन्द्र का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी लाभग्राही की चिकित्सा रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और इसे कोष प्रबंधन इकाई (एफ.एम.यू.) को आनलाइन अग्रसारित करेगा।

(8) रेफरल चिकित्सालय से अभिलेखों की पावती पर कोष प्रबंधन इकाई (एफ.एम.यू.) द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से मांग सृजित की जायेगी। तद्नुसार पी.एफ.एम.एस. (P.F.M.S) पद्धति के माध्यम से धनराशि सीधे रेफरल चिकित्सालयों के खातों में स्थानान्तरित की जायेगी।

(9) विकल्पतः यदि लाभग्राही को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाना हो तो, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट आवश्यकतांए इंगित किये जाने पर उन्हें अग्रिम धन प्रदान किया जायेगा।

(10) इस तरह के प्रकरण में, रेफरल केन्द्र द्वारा उपचारित लाभग्राहियों के प्रत्येक उपचार पर हुए व्यय का विवरण कोष (फण्ड) के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रुप से प्रदर्शित किया जायेगा।

(11) चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से परामर्श के उपरान्त महिला कल्याण विभाग द्वारा भुगतान की विस्तृत प्रकिया निर्धारित की जायेगी।

(12) प्रत्येक चिन्हित रेफरल चिकित्सा संस्थान/चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/जिला चिकित्सालयों के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों के नामों और उनके संपर्क विवरणों को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा। कोष के वेब पोर्टल पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारियों की पहुँच को सुगम बनाने के लिए लॉगिन और डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करने के लिए यह सूचना आवश्यक है।

rule

(ग) **शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रकियाः–**

(1) यदि पीड़िताओं/उनके अवयस्क बच्चों की ऐसी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है, जो किसी सरकारी कार्यक्रम के अधीन निःशुल्क उपलब्ध नहीं है, तो उसके द्वारा आन–लाईन आवेदन जिला संचालन समिति को प्रेषित किया जायेगा और जिला संचालन समिति उस प्रकरण की यथार्थता से संतुष्ट होने के बाद आवश्यक सहायता के भुगतान के लिए विहित प्रारुप में अपनी संस्तुति सहित प्रकरण, कोष प्रबंधन इकाई (एफ.एम.यू.) को संदर्भित करेगा। तद्नुसार कोष प्रबंधन इकाई (एफ.एम.यू) द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से मांग सृजित की जायेगी और धनराशि पी.एफ.एम.एस. पद्धति के माध्यम से सीधे शैक्षिक संस्थाओं के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

13. **संलग्नक–2 में परिभाषित प्रकरणों के संबंध में प्रकियाः–**

संलग्नक–2 से संबंधित मामलों में सामाजिक पेंशनर/किसी अन्य अनुमोदित श्रेणी का होने का फोटोयुक्त आई.डी. प्रमाण के साथ इस कोष से चिकित्सीय/शैक्षिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(क) **चिकित्सा सुविधाओं की प्राप्ति के लिए प्रकियाः–**

सुविधाओं की प्राप्ति के लिए लाभग्राही सर्वप्रथम पंजीकरण के समय पंजीकरण पटल पर एक सामाजिक पेंशनर/किसी अन्य अनुमोदित श्रेणी का होने का फोटोयुक्त आई डी प्रमाण दिखायेगा। शेष प्रकिया उपरोक्त 12 'ख' के समान होगी।

(ख) **शैक्षिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए प्रकियाः–**

जिन मामलों में लाभग्राहियों को शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है, जो किसी सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध नहीं हैं, उन मामलों में विहित प्रारुप में आनलाईन आवेदन किये जायेगें। प्रकिया उपरोक्त '12ग' के समान होगी।

14. **संलग्नक–3 में वर्णित प्रकरणों के संबंध में प्रकियाः–**

जनता के अंशदानों सहायता देने की प्रकिया उपरोक्त प्रस्तर–5 (ख) के अनुसार है। कोष में किये गये जनता के अंशदानों का व्यय राज्य अनुश्रवण समिति के अनुमोदन और इसके द्वारा निर्धारित प्रकिया से ही किया जा सकता है।

rule

15. राज्य अनुश्रवण समिति उपरोक्त 11 से 14 की प्रकियाओं पर पुनर्विचार एवं उनमें संशोधन करने के लिए सक्षम है।

भाग—5

16. **सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के नवपरिवर्तनों के लिए कोष**

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं के सशक्तीकरण की नवपरिवर्तनकारी कार्यकलापों/परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 3% कोष आरक्षित रखा जायेगा। इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत प्राधिकारी राज्य अनुश्रवण समिति होगी।

17. **राज्य स्तरीय पुरस्कारः—**

(क) महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण की दिशा में असाधारण सहयोग और प्रयासों के लिए चयनित व्यक्तियों, सरकारी और गैर सरकारी पदधारकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेगें। राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रदान किये जाने के मानक इस मिशन के अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगें।

(ख) इस कोष से संबंधित (I.E.C) आई.ई.सी. कियाकलापों के लिए कोष को आधा प्रतिशत आरक्षित रखा जायेगा।

18. **प्रशासनः—**

(क) इस कोष की चल और अचल सम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा।

(ख) राज्य अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष किसी अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी के रूप में नामित करेंगें, जो समिति की ओर से कोष के परिचालन एवं लेखा अनुरक्षण हेतु प्राधिकृत होगा।

(ग) इस कोष की वार्षिक लेखा परीक्षा महालेखाकार, इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा की जायेगी। वित्त विभाग के अधीन आन्तरिक लेखा—परीक्षा निदेशालय भी लेखा परीक्षा में सहायता प्रदान करेगा। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मिशन को प्रस्तुत किया जायेगा।

rule

(घ) पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जनता की संवीक्षा के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निर्दिष्ट वेबसाइट पर डाला जायेगा।

19. **समापन और सम्पत्ति का निहितिकरणः–**

(क) इस कोष का समापन इसी उद्देश्य के लिए आहूत् राज्य अनुश्रवण समिति की किसी विशेष बैठक में मिशन की अनुमोदन से किया जा सकता है।

(ख) कोष के समापन पर, कोष में अवशेषों का आवंटन प्रथमतः देनदारियों को समाप्त करने के लिए किया जायेगा और यदि कोई धनराशि खाते में बचती है तो उसे सरकारी कोषागार में प्रकीर्ण पावती के रुप में जमा करा दिया जायेगा।

20. **विविधः–**

(क) पूर्ण पारदर्शिता के सुनिश्चयन हेतु इस कोष के विवरण और इसके अभिलेख पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होंगे और जनता की संवीक्षा के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध होगें।

(ख) इस कोष के समस्त विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किये जा सकेंगे।

(ग) उपर्युक्त नियमावली मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से, जब जिस प्रकार से आवश्यक हो, परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकेगी।

आदेश से,

रेणुका कुमार

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

rule

संलग्नक–1

अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अधीन प्रदत्त सुविधायें–

क– पीड़िताओं के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान

क्र. सं.	भारतीय दण्ड संहिता/विशेष अधिनियम की धारा	दण्ड का प्राविधान	क्षतिपूर्ति किसे देय है	क्षतपूर्ति की धनराशि (रू0 में)	भुगतान के चरण	भुगतान हेतु पूर्वापेक्षायें
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	326 क तेजाब का उपयोग करके जानबूझकर गहरी चोट पहुंचाना	दस वर्षों से अन्यून	1–पीड़िता 2–पीड़िता की मृत्यु की दशा में बच्चों को, नहीं तो माता–पिता को	1–रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख मात्र) (10% से 30% तक जलने की दशा में अथवा चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत् और अधिक जलने के मामलों में अथवा आंख के शामिल होने पर (ऊपरी पलक, नीचे की पलक, कार्निया और/अथवा कन्जेक्टिवा)) 2–रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख मात्र) (चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत् और उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नांक और मुख, कान, आंख के कार्य बाधित होने की दशा में अथवा 30 प्रतिशत् से अधिक जलने की दशा में) 3–रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख मात्र) (तेजाब से हमले के कारण मृत्यु होने की दशा में)	1–रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) का भुगतान 15 दिन के अन्दर 2– अवशेष धनराशि (यथा स्थिति) 03 माह के भीतर	दोनों किस्तों के भुगतान के लिए एफ0आई0आर चोट की रिपोर्ट (जलने से हुए घावों का विवरण देते हुए) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
2.	304 ख (दहेज मृत्यु)	7 वर्ष से अन्यून	पीड़िता के बच्चों को	रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख मात्र)	न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर	एफ0आई0आर0 पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चार्जशीट
3.	376 क (बलात्कार, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वह स्थायी निष्क्रियता की अवस्था में पहुंच जाय)	20 वर्ष से अन्यून	1–पीड़िता 2–पीड़िता की मृत्यु होने की दशा में पीड़िता के बच्चे, नहीं तो पीड़िता के माता–पिता	रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख मात्र)	1–रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख मात्र) प्रथम किस्त के रूप में, पीड़िता के निष्क्रिय दशा को संकेत करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में) 2–रू0 7,00,000/– (रू0 सात लाख मात्र) की शेष धनराशि 03 महीने के भीतर तक	एफ0आई0आर0 एवं चोट की रिपोर्ट जिससे पेनेट्रेटिव लैंगिक हमला संकेतिक हो तथा चिकित्सा रिपोर्ट जिससे पीड़िता के निष्क्रीय दशा का संकेत हो अथवा यथास्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट

rule

4.	376 ग (किसी प्राधिकारवान द्वारा किया गया यौनिक समागम)	5 वर्ष से अन्यून	पीड़िता	रू0—3,00,000/— (रू0 तीन लाख मात्र)	न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर—एकमुश्त	एफ0आई0आर0 एवं चिकित्सा रिपोर्ट से समर्थित चार्जशीट
5.	376 घ (सामूहिक बलात्कार)	20 वर्ष से अन्यून	पीड़िता	रू0—7,00,000/— (रू0 सात लाख मात्र)	1— 15 दिनों के भीतर रू0 1,00,000/— (रू0 एक लाख मात्र) का भुगतान किया जायेगा अथवा अवशेष धनराशि चार्जशीट दाखिल होने के 01 माह के अन्दर	प्रथम किस्त के भुगतान हेतु एफ0आई0आर0 और चोट की रिपोर्ट अथवा पेनेट्रेटिव लैंगिक हमला को संकेतिक करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट प्रथम किस्त के भुगतान हेतु तथा द्वितीय किस्त चार्जशीट के बाद
6.	धारा—4 पी0ओ0सी0एस0ओ0 प्रवेशक लैंगिक प्रहार	7 वर्ष से अन्यून	पीड़िता	रू0—3,00,000/— (रू0 तीन लाख मात्र)	1— पहले किस्त के रूप में 15 दिनों के भीतर रू0 1,00,000/— (रू0 एक लाख मात्र) 2— चार्जशीट दाखिल होने के 01 माह के अन्दर अवशेष रू0 2,00,000/— (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि।	एफ0आई0आर तथा पेनेट्रेटिव लैंगिक हमला की संकेतिक चोट की रिपोर्ट तथा चार्जशीट
7.	धारा—6 पी0ओ0सी0एस0ओ0 (गंभीर प्रवेशक लैंगिक प्रहार)	10 वर्ष से अन्यून	पीड़िता	रू0—3,00,000/— (रू0 तीन लाख मात्र)	1— पहली किस्त के रूप में 15 दिनों के भीतर रू0—1,00,000/— (रू0 एक लाख मात्र) 2— चार्जशीट दाखिल होने के 01 माह के अन्दर अवशेष रू0—2,00,000/— (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि।	एफ0आई0आर तथा पेनेट्रेटिव लैंगिक हमला की संकेतिक चोट की रिपोर्ट तथा चार्जशीट
8.	धारा—14 पी0ओ0सी0एस0ओ0 (अश्लील प्रयोजनों हेतु बच्चों का उपयोग)	5 वर्ष तक	पीड़िता	रू0—1,00,000/— (रू0 एक लाख मात्र)	न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर एकमुश्त	एफ0आई0आर तथा चार्जशीट।
9.	भारतीय दण्ड संहिता की धारा—302 के साथ पठित पी0ओ0सी0 एस0ओ0 की धारा—4 या धारा—6 या (पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले के साथ अवयस्क की मृत्यु)		पीड़िता के माता—पिता	रू0 10,00,000/—	न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने पर एकमुश्त	एफ0आई0आर0 पेनेट्रेटिव लैंगिक हमला को संकेत करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चार्जशीट

rule

- उपर्युक्त क्रमांक–1 से 9 तक के पंजीकृत मामलों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम अथवा पास्को अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य कानून/नियम किसी आयोग अथवा न्यायालय के आदेश द्वारा प्रदत्त अन्तरिम अथवा अन्तिम क्षतिपूर्ति इस नियमावली के अधीन देय क्षतिपूर्ति के साथ समायोजन योग्य होगी। इस नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त आर्थिक क्षतिपूर्ति की सूचना अनिवार्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जायेगी तथा जिला पुलिस द्वारा उक्त सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित न्यायालय को दी जायेगी।
- कोष हेतु प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी प्राधिकृत पदाभिहित अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा।
- केन्द्रीकृत पुलिस वेब सर्वर को कोष के वेब पोर्टल की आनलाइन ट्रैकिंग पद्धति से जोड़ा जायेगा।

ख–पीड़िताओं हेतु चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

1– राज्य सरकार के सभी स्वास्थ्य रक्षण संस्थाओं और चिकित्सालयों, उत्तर प्रदेश स्थित स्वशासी निकायों सहित, में पीड़िताओं हेतु आपात चिकित्सा, अनुवर्ती चिकित्सा और ऐसे अन्य आवश्यक उपचार (पुनः स्वास्थ्यलाभ की प्रक्रियाओं सहित) निः शुल्क उपलब्ध कराना, ये निम्नवत हैः

प्रारम्भिक स्तर का उपचार

(क) राज्य सरकार के चिकित्सालय प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य चिकित्सा इकाइयॉ

(ख) उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेज (आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, कानपुर, कन्नौज, जालौन, झॉसी, मेरठ, सहारनपुर)

रेफरल चिकित्सा संस्थाएं:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के स्वशासी निकाय/विश्वविद्यालय के कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर, एल पी एस कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट, कानपुर, एज.जी.पी.जी.आई. एमएस, लखनऊ, आर0एम0एल0आई0एम0एस0 लखनऊ, यूपी आर0आई0एम0एस0 एण्ड आर, सैफई और के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

(ख) अन्य केन्द्रः
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (चिकित्सा–शिक्षा विभाग, द्वारा इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने के उपरांत)

2– इस प्रकार के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना (जो कि पीड़िताओं के पूर्ण स्वस्थ्यलाभ के लिए आवश्यक हो) जो कि राज्य के संस्थानों में उपलब्ध न हो परन्तु देश में किसी भी जगह स्थित अन्य सरकारी संस्थानों या विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विख्यात चिकित्सालयों में उपलब्ध हो।

rule

3. **कोष के अधीन आच्छादित सेवायें:–**

- सभी प्रकार की जांचे (प्रतिविम्बित करने वाली एवं प्रयोगशाला की नैदानिक प्रक्रियाओं सहित) और आपातकालीन अनुवर्ती चिकित्सा और अन्य आवयश्क उपचार प्रकियायें (पश्चात्वर्ती दिनांको में की गयी पुनः संरचनात्मक प्रक्रियाओं और मनोवैज्ञानिक उपचार सहित) और पीड़िता के लिए आवश्यक रेफरल उपचार जो कि सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध न हो इस कोष के अधीन आच्छादित होंगी।
- जांचे, जो सरकारी चिकित्सालयों/संस्थाओं में उपलब्ध न हों, परन्तु निजी क्षेत्र में उपलब्ध हों, इससे आच्छादित होंगी बशर्ते कि सम्बन्धित सी.एम.ओ/सी.एम.एस द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि ये जांचे पीड़िता के तुरन्त या सम्पूर्ण उपचार हेतु आवश्यक है और सरकारी चिकित्सालय सरकारी मेडिकल कालेज में उपलब्ध नहीं है।
- जिला संचालन समिति, इस नियमावली के उद्देश्यों के लिए, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप, जिले में दो से अनधिक नैदानिक (डायग्नोसिस्ट) केन्द्रों को मान्यता देगी। इन मान्यता प्राप्त केन्द्रों द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा (जिसका प्रारूप चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा), जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षण/जांच कराने वाली लाभग्राहियों के नाम एवं अन्य आवश्यक विवरण से संबंधित सूचना अंकित होगी। इन केन्द्रों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बिल, जिला संचालन समिति को आनलाइन प्रस्तुत करने हेतु, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। एफ0एम0यू0 को उक्त बिलों की संस्तुति प्राप्त होने पर संबंधित डायग्नोस्टिक सेन्टर के एकाउन्ट में आनलाइन सीधे भुगतान किया जायेगा। ऐसी जांचों के लिए भुगतान की दरें एस.जी.पी.जी.आई. एम.एस/सी.जी.एच.एस की दरों से अधिक नहीं होंगी।
- रेफरल उपचार में वास्तविक चिकित्सीय उपचार का व्यय जांचों और दवाओं का व्यय, रेफरल केन्द्र पर निःशुल्क न उपलब्ध होने की दशा में आच्छादित होगा।

4. **प्रकियायें:–**

- प्रकियायें वहीं होगी, जो कि नियमावली में निर्धारित हैं।
- सभी जिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों और चिन्हित रेफरल मेडिकल संस्थायें कोष के वेब पोर्टल की आनलाइन ट्रैकिंग पद्धति से जोड़े जायेंगें। चिकित्सा–स्वास्थ्य और चिकित्सा–शिक्षा विभाग डॉटा इन्ट्री आपरेटरों, कम्प्यूटर हार्डवेयर/उपभोज्य, इन्टरनेट कनेक्शनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा इसके लिये आवश्यक बजटीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।
- प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/रेफरल संस्थान एक प्राधिकृत चिकित्साधिकारी को नामित करेंगे, जिसके पास नियमावली के अधीन यथापेक्षित डाटा मेडिकल रिपोर्ट को अपलोड करने का प्रभार होगा।
- प्रत्येक उपचार/की गई जांचों को प्रमाणित कराने की आवश्यकता से दूर रहते हुए त्वरित उपचार को सुगम बनाने के लिए अधिमानतः उपचार पैकेज और आधिकारिक सूत्र (प्रोटोकाल) सुपरिभाषित होने चाहिए।
- कोष से उपचार–व्यय के भुगतान के तरीके सहित इस योजना में निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं की मान्यता के लिए प्रकियाओं चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा–शिक्षा विभागों द्वारा निर्धारित की जायेंगी। इस प्रकार के उपचार के लिए भुगतान दरें एस.जी.पी.जी.आई. एम.एस./सी.जी.एच.एस. की दरों से अधिक नहीं होंगी।

rule

संलग्नक–2

(क) अर्हताः–

- समस्त महिला पेंशनर, जो भारत सरकार और/या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक पेंशन योजनाओं से आच्छादित है–(समस्त सामाजिक पेंशन लाभार्थियों के खाते पहले से ही कम्प्यूटरीकृत हैं)
- उपर्युक्त श्रेणी के लाभार्थियों के अवयस्क बालिकायें/बच्चें।
- सरकारी आवासों में रहने वाली महिलायें, जो न तो पेंशन धारक हों, न ही वी.पी.एल.(BPL) कार्ड धारक हों, परन्तु जो निराश्रित हों। महिला कल्याण विभाग का जिला परिवीक्षा अधिकारी इस श्रेणी हेतु विहित प्रारुप में एक प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा। इस हेतु प्रकिया डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- जे0जे0 अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी/गैर सरकारी बाल गृहों/विशेष गृहों/देख–भाल गृहों/प्रेक्षण गृहों में निवास करने वाली बालिकाएं। महिला कल्याण विभाग का जिला परिवीक्षा अधिकारी इस श्रेणी हेतु विहित प्रारुप में एक प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा। (इस हेतु प्रकिया महिला कल्याण द्वारा निर्धारित की जायेगी)
- राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित की गई कोई अन्य श्रेणी।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी की लाभग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु प्राविधानः–

(1) उपर्युक्त श्रेणी के लाभग्राहियों के लिए यथावश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी उन समस्याओं का समाधान करते हुये, जो उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, निःशुल्क उपचार (पुनः स्वास्थ्य लाभ प्रकियाओं सहित) उपलब्ध कराना। इस प्रकार की समस्याओं में निम्नलिखित है, परन्तु ये इन तक सीमित नहीं है :

- प्रजनन एवं लैंगिक विकार
- लैंगिक रुप से अन्तरित संक्रमण
- महिलाओं में सामान्यतया पाई जाने वाली विषालुता (कैंसर)
- जराव्याधि देखभाल
- मनोचिकित्सीय परामर्श और मानसिक विकार
- विरूपण कारित करने वाले जन्मजात दोष
- नेत्रों की देखभाल

rule

(2) राज्य सरकार की समस्त स्वास्थ्य परिचर्या संस्था और चिकित्सालय, राज्य के स्वायत्तशासी निकाय सहित, जिनमें उपचार प्रदान किया जायेगा, निम्नलिखित है :–

प्रारम्भिक स्तर का उपचारः–

(क) प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन राज्य सरकार के चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) और अन्य चिकित्सा इकाईयां।

(ख) उत्तर प्रदेश के शासकीय मेडिकल कालेज (आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, कानपुर, कन्नौज, जालौन, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर)

रेफरल चिकित्सा संस्थायेंः–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य के स्वायत्तशासी निकाय/ विश्वविद्यालय, जे0के0 कैन्सर इंस्टीट्यूट कानपुर, एल0पी0एस0 कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, ए0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ, आर0एम0एल0 आई0एम0एस0 लखनऊ, यू0पी0आर0आई0एम0एस0 एवं आर0 सैफई और के0जी0एम0यू0 लखनऊ।

(ख) अन्य केन्द्र : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, (चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इन संस्थाओं को मान्यता देने के उपरान्त)

(3) इस तरह के उपचार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना (जो पीड़िता के सम्पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक हो) जो राज्य के संस्थानों में उपलब्ध न हो, परन्तु जो देश में स्थित किसी भी जगह स्थित अन्य सरकारी संस्थानों या विधिवत् मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विख्यात चिकित्सालयों में उपलब्ध हो।

(4) इस कोष के अधीन आच्छादित सेवायें और प्रकियायें संलग्नक–1 के अनुसार है।

rule

संलग्नक–3

कोष में जनसामान्य का योगदानः–

- जनसामान्य के किसी सदस्य, सरकारी/गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा कोष में सामान्य रुप में या अपनी पसंद की किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए किसी स्थान/जिले, जहॉ वे इसका कियान्वयन चाहते हों, को इंगित करते हुये योगदान किया जा सकता है।
- परियोजनायें, अवसंरचना– निर्माण, विनिर्दिष्ट लाभार्थी समूहों को सेवा प्रदान करने, सरकारी संस्थाओं से भिन्न संस्थाओं में, शिक्षा/क्रीड़ा/कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रायोजित करने के रुप में हो सकती हैं। उपकरणों की खरीद के लिए भी योगदान किया जा सकता है।

2. महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से संबंधित परियोजनायें, जिनके लिए जनता द्वारा कोष में योगदान किया जा सकता हैः–

- शिक्षा को प्रोत्साहन, जिसमें भिन्न प्रकार से सक्षम व्यक्तियों हेतु विशेष शिक्षा, खेलकूद की शिक्षा, रोजगारवर्धक व्यावसायिक कौशल तथा इन क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास सम्मिलित है।
- भिन्न प्रकार से सक्षम महिलाओं/बालिकाओं की आजीविका को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर विशेष केन्द्रण।
- किसी लाभार्थी (महिलाओं/बालिकाओं) की शिक्षा को प्रायोजित करना, जिसमें सरकारी संस्थानों से इतर संस्थानों में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास सम्मिलित है।
- महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए लघु स्तरीय इकाईयों की स्थापना।
- प्रौढ़ महिलाओं की आजीविका संवर्धन की परियोजनाओं, वृहद आश्रमों और दिवस परिचर्या केन्द्रों की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह की अन्य सुविधाओं पर विशेष केन्द्रण।
- स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

b

- स्वास्थ्य परिचर्या और निरोधक स्वास्थ्य परिचर्या का संवर्धन
- लैंगिक संवदेनशीलता, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण से संबंधित परियोजनायें।
- महिलाओं और अनाथो के लिए घरों और हास्टलों की स्थापना करना।
- महिला थानों का निर्माण, महिला पुलिस की दक्षता बढ़ाने से संबंधित परियोजनाएं।
- मिशन द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य क्षेत्र।

जिन परियोजनाओं के लिए योगदान किया गया है, उनकी प्रास्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

---

b

rule